

विचार बिन्दु

धन ना भी हो तो आरोग्य, विद्वता सज्जन-मैत्री तथा स्वाधीनता
मनुष्य के महान ऐश्वर्य हैं। -अज्ञात

स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खतरों को समझने की जरूरत

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आर. वी. अशोकन ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो हुआ, उसने देश के मेडिकल कॉलेजों में फेली सलाहकों को सामने ला दिया है। चिकित्सकों के सर्वोच्च संगठन का अध्यक्ष यदि ऐसा कहता है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाद में एक भेंटवार्ता में उन्होंने अपनी इस टिप्पणी को व्याख्यायित भी किया है। किसी को अच्छा लगे या न लगे, डॉ. अशोकन देश में मेडिकल क्षेत्र में आई गिरावट के लिये उसके निजीकरण को मानते हैं। वे कहते हैं कि इसकी शुरुआत सरकार द्वारा लोगों की स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों को निजी हाथों में सौंपने से हुई है। खुद सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण भी यह बताता है। जैसे देश में स्वास्थ्य सेवा पर कुल खर्च जीडीपी का करीब 3.9 प्रतिशत है, जिसमें सरकार का योगदान 1.1 प्रतिशत है और निजी क्षेत्र का योगदान 2.8 प्रतिशत है।

इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक क्षेत्र से दो गुना ज्यादा खर्च करता है। यह बहुत स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं से अपना परल्ला झाड़ते हुए सरकार ने निजीकरण को जो राह पकड़ी है उसका असर मेडिकल के किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सर्वत्र हुआ है। सरकारी नीति परिवर्तन से सार्वजनिक क्षेत्र में नये पदों का सृजन लगभग बंद हो गया। मेडिकल अधिकारियों की भर्ती पिछली बार बंद हुई किसी को याद नहीं। नई नीतियों के चलते बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ी है और स्वास्थ्य व्यवस्था अंदर से खोखली होती चली गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी तदर्थ नियुक्तियों का चलन आगे गया है। परंपरागत व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समानांतर व्यवस्था बना दी गई है। ऐसा सार्वजनिक निवेश की कमी और स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंपने के कारण हुआ है। चूंकि एमबीबीएस डॉक्टरों में बहुत अधिक बेरोजगारी है, इसलिए पोस्ट-ग्रेजुएशन करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक उनके पास विशेषज्ञता न हो, हर एमबीबीएस स्नातक अपने को बेकार महसूस करता है। दूसरी तरफ हर साल, एक लाख दस हजार छात्र एमबीबीएस पास करते हैं, लेकिन केवल 65,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं। इसलिए, हर साल, 45,000 एमबीबीएस स्नातकों को पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश नहीं मिलता है। वे इसे छोड़ने या कुछ और करने से पहले कम से कम तीन प्रयास करते हैं। फिर उन एमबीबीएस स्नातकों की संख्या की भी गणना करें जो कोचिंग सेंट्रों में रह जाते हैं। तो, डेढ़ लाख छात्र अपना समय कोचिंग सेंट्रों में बिताते हैं क्योंकि उनके पास भी और कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ सरकारी मेडिकल अधिकारियों की भर्ती नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री लेकर कोई अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकता। हम पाते हैं कि एमबीबीएस किए हुए युवाओं को दिहाड़ी मजदूरी पर रात को नौकरी करनी पड़ती है।

क्या पश्चिम बंगाल के अस्पताल में हुई दुभाग्यपूर्ण घटना जैसी सारी समस्याएँ तब शुरू हुईं जब सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से हटकर इसे निजी क्षेत्र को दे दिया? इस सवाल के जवाब में डॉ. अशोकन कहते हैं कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, वह कोई अकेली घटना नहीं थी। अभी स्थिति ऐसी है कि इस तरह की घटनाएँ पूरे देश में होती रहेंगी। बंगाल को क्यों दोष दें? हर राज्य में यही स्थिति है। हर मेडिकल कॉलेज में यही स्थिति है। हर मेडिकल विभाग में यही स्थिति है। अधिक शौचालय बनाने और सीसीटीवी लगाने से यह नहीं बदलेगा। ऐसी हिंसा की घटनाएँ स्वास्थ्य में निवेश की कमी के कारण हैं। अब हालात ऐसे बन गये हैं कि एक तरफ सरकारी संस्थानों में निवेश और मानव संसाधन की कमी है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के अस्पताल उद्योग बन गये हैं। तो गरीब लोग स्वास्थ्य सेवा के लिए कहाँ जाएंगे? इसी वजह से लोगों में गुस्सा है और डॉक्टर आसान निशाना बन रहे हैं क्योंकि वे मरीज के करीब होते हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा होते हैं, खासकर रेजिडेंट डॉक्टर और ड्यूटी डॉक्टर जो आपात स्थिति और हाताहतों की देखभाल करते हैं। स्वाभाविक रूप से वे निशाने पर होते हैं। डॉक्टर भी उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते जिस तरह से एक आम आदमी सड़क पर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टरों पर बहस करने लिये डॉ. अशोकन कहते हैं: वे भी इंसान हैं... इसलिए पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सड़न है। आपको समझना चाहिए कि जो हम वहाँ देख रहे हैं, वह बीमारी नहीं है, यह केवल लक्षण है।

डाक्टरों पर हिंसा की घटनाएँ तब होती हैं जब लोग निराश हो जाते हैं। जब समाज के विशेषाधिकार प्राप्त लोगों अर्थात् चिकित्सा उपचार मिलता है जबकि दूसरे लोग असहाय महसूस करते हैं। इसका कारण है सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में निवेश की कमी, और उसके साथ 39:लाभ के लिए 39; कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा। सिद्धांत रूप में, स्वास्थ्य सेवा में लाभ के लिए उद्योग को लाना सही नहीं कहा जा सकता है। लाभ के लिए बीमा एजेंसियों द्वारा लाभ के लिए अस्पताल चलाने जाने का मॉडल अमरीका से आयातित है जहाँ सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा में जाता है, लेकिन 20 प्रतिशत अमेरिकियों को देखभाल नहीं मिलती है। यहाँ डॉक्टर से तुलना मिलता जा सकता है, जबकि यू.के., यू.एस., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। यह सवाल पूछा जाना उचित ही है कि क्या हमारे नीति निर्माता देश को उस राह पर ले जाना चाहते हैं? भारत में अस्पतालों का जिस प्रकार निगमिकरण हो रहा है उसमें सही जगह छोटे और मध्यम निजी अस्पताल बंद हो रहे हैं। आजकल कोई भी नया डॉक्टर छोटा अस्पताल नहीं खोलता। ऐसी हालत समाज के लिए नुकसानदेह है। आज, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा आधिकारिक तौर पर एक उद्योग बन गई है। ऐसे में हाल ही में आई इस खबर पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विलासिता वाले आवास बनाने वाली एक कंपनी भी अपना विस्तार करते हुए अब स्वास्थ्य सेवा के बाजार में कूद पड़ी है और अस्पताल खोल रही है।

विलासिता वाले कॉर्पोरेट अस्पतालों को मेडिकल ट्रिज्म के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार केवल बीमा को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि वह स्वयं लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से अपना पिंड छुड़ा रही है। ऐसे में अधिक सरकारी डॉक्टर स्वतंत्र रूप से प्रेक्टिस करने के बजाय इन बड़े मुनाफे वाले अस्पतालों के कर्मचारी बन रहे हैं। व्यवस्था को ठीक करने की बजाय खोलन और नीति निर्माता पलायन की राह पकड़ रहे हैं और बाजार की ताकतों के हाथों में खल रहे हैं। पिछले दशक में, 2012 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, डॉ. श्रीनाथ रेड्डी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने जो दस्तावेज बना कर दिया था उसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की सिफारिश की गई थी, जिसका मतलब था कि बुनियादी स्वास्थ्य कवर सरकार द्वारा बिना किसी बीमा के, बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सुनिश्चित किया जाय, तथा स्वास्थ्य सेवा में रिश्ता रोगी और सरकार के बीच हो। मगर अब नीति आयोग हाथ खड़े कर रहा है और कह रहा है कि दस साल के समय में सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान नहीं कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि 92 करोड़ लोगों के लिए, जिनके पास कोई स्वास्थ्य कवर नहीं है, सरकार उन्हें निजी बीमा उद्योग को सौंप देगी।

बड़े प्राइवेट अस्पताल भरपूर विज्ञान कर रहे हैं और कमा रहे हैं, जबकि मरीज आसमान छूती चिकित्सा कीमतों के कारण लुट रहा है। बाजार खुश है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाजार, जिसका मूल्य 2016 में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब 2025 तक 638 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, 2024 तक, भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो कुल 7.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। निजीकरण के चलते राजस्व और रोजगार दोनों के मामले में स्वास्थ्य सेवा भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गई है। स्वास्थ्य सेवा में अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। नीतिगत रूप से दिशा बदल कर सरकार को स्वास्थ्य सेवा का मुख्य प्रदाता बनना होगा और उसे उसमें अधिक धन लगाना होगा। स्वास्थ्य सेवा को निजी उद्योग के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। जन स्वास्थ्य संविधान की राज्य सूची में है इसलिए यह अपेक्षा राजस्थान सरकार से है कि वह केरल और तमिलनाडु से सीखे जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र को कड़ी टक्कर देता है। बीस साल पहले, इन दोनों राज्यों में दो तिहाई प्रसव निजी क्षेत्र में हो रहे थे। आज, दो तिहाई प्रसव सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कैसे चलाया जाना चाहिए, इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। उनके चुनिंदा प्राथमिक केंद्रों में सीजेरियन भी होते हैं, और वे 24 घंटे खुले रहते हैं। केरल में, उनके पास दो ओपीडी हैं, एक सुबह और एक शाम को। इन दोनों राज्यों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए घर-घर जाकर दवाई दी जाती है। डॉक्टरों की अगुआई वाली टीमें घर-घर जाकर ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर की जांच करती हैं और एक महीने की दवाई देती हैं। राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता!

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोडा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

40 वर्ष तक की युवा महिलाओं में स्तन कैंसर का बढ़ता जोखिम



डॉ. अनुभा जैन

बैंगलूरु के अस्पतालों ने चिंता व्यक्त करते हुये बताया कि पिछले पांच वर्षों में 20 से 40 वर्ष उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सौ प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। स्तन कैंसर सबसे अधिक 40-60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रभावित करता है, जबकि आज 40 वर्ष से कम उम्र की युवा महिलाओं में भी इसका डाइग्नोसिस तेजी से हो रहा है।

कर्नाटका के साथ तमिलनाडु, नई दिल्ली, तेलंगाना भारत के उन चार राज्यों में शामिल है जहाँ महिला स्तन या ब्रेस्ट कैंसर के मामले सर्वाधिक संख्या में दर्ज किये जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) - नेशनल सेंटर फॉर डिसीस इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एन.सी.डी.आई.आर.) स्टडी के अनुसार महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर प्राथमिक कारण है भारत में होने वाली महिला मृत्यु दर का जिसमें 13.5 प्रतिशत नये कैंसर के मामले और 10.6 प्रतिशत सभी कैंसर से होने वाली मौतों के लिये जिम्मेदार है। डॉ. मधुप्रिया, वरिष्ठ सलाहकार - सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो कैंसर सेंटर, वनगरम, चेन्नई ने कहा कि भारत में हर 4 मिनट में महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान किया जा रहा है - जागरूकता बढ़ाना और समय रहते इसका पता लगाने को प्रोत्साहित करना समय की मांग है, जिससे अनर्गनत लोगों की जान बच सकती है।

डॉ. गीता कडायप्रथ, सीनियर कंसल्टेंट, ब्रेस्ट सर्जरी, अपोलो कैंसर सेंटर (दिल्ली) ने साक्षात्कार के दौरान डॉ. अनुभा जैन से बात करते हुये बताया कि अस्पतालों में 40 साल से कम उम्र के नए स्तन कैंसर के युवा मरीजों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। यह एक कॉम्प्लैक्स इंटरप्ले है जिसमें महिलाओं की लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट शामिल है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसज पर बात करते हुये डॉ. गीता ने कहा कि स्तन कैंसर की घटनाएँ बढ़ रही हैं मुख्य रूप से जीवनशैली में बदलाव के कारण। उन्होंने कहा कैंसर से डर होना मनुष्य की एक सामान्य अवधारणा है।

आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत स्तन कैंसर जेनेटिक होते हैं, लेकिन जीवनशैली से जुड़े कारक जैसे कि साइना आहार संबंधी आदतें, परिवारों में निष्क्रियता, बच्चे के जन्म में देरी, स्तनपान में कमी, निष्क्रिय आदतें, मोटापा और खराब आहार वे कारक हैं जो जीन की तुलना में युवा महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। साथ ही बांझपन के लिए हार्मोनल थेरेपी और रजोनिवृत्ति के बाद के उपचार भी स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा रहे हैं।

डॉ. गीता के अनुसार समय के साथ कैंसर के इलाज में नई तकनीकों के आने से कैंसर सर्वाइवल रेट में सुधार भी हुआ है। युवा महिलाओं में स्तन कैंसर का होना भारत में जहाँ यह अनुपात दुगना यानि 15-20 प्रतिशत है वहीं पश्चिमी देशों में इसका आधा महज 7 प्रतिशत है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन जिसमें शारीरिक गतिविधियाँ, सही फूड का चयन सही सोर्स के साथ होना चाहिये क्योंकि आज पेस्टीसाइडस का बेहद उपयोग हो रहा है जो कि हमारे खाने में सर्व हो जाते हैं। डॉ. गीता ने चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि दुर्भाग्य से भारत में आज एडवांस कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 के कुल 60 प्रतिशत केसेज दर्ज किये गये हैं जो एक चिंता का विषय है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, अवेयरनेस की कमी और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल नहीं होने के कारण यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

लेकिन जीवनशैली से जुड़े कारक जैसे कि साइना आहार संबंधी आदतें, परिवारों में निष्क्रियता, बच्चे के जन्म में देरी, स्तनपान में कमी, निष्क्रिय आदतें, मोटापा और खराब आहार वे कारक हैं जो जीन की तुलना में युवा महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। साथ ही बांझपन के लिए हार्मोनल थेरेपी और रजोनिवृत्ति के बाद के उपचार भी स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा रहे हैं।

डॉ. गीता के अनुसार समय के साथ कैंसर के इलाज में नई तकनीकों के आने से कैंसर सर्वाइवल रेट में सुधार भी हुआ है। युवा महिलाओं में स्तन कैंसर का होना भारत में जहाँ यह अनुपात दुगना यानि 15-20 प्रतिशत है वहीं पश्चिमी देशों में इसका आधा महज 7 प्रतिशत है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन जिसमें शारीरिक गतिविधियाँ, सही फूड का चयन सही सोर्स के साथ होना चाहिये क्योंकि आज पेस्टीसाइडस का बेहद उपयोग हो रहा है जो कि हमारे खाने में सर्व हो जाते हैं। डॉ. गीता ने चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि दुर्भाग्य से भारत में आज एडवांस कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 के कुल 60 प्रतिशत केसेज दर्ज किये गये हैं जो एक चिंता का विषय है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, अवेयरनेस की कमी और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल नहीं होने के कारण यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार

अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार



डॉ. गीता

स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण बन गया है, जिसने सर्वाइवल कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। फिर भी, कई जागरूकता प्रयासों के बावजूद, लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ आज भी अपने स्तन स्वास्थ्य पर काम करने में झिझकती हैं।

अंत में डॉ. गीता ने कहा, "मैंने ऐसी स्टेज 4 की महिलाओं का इलाज किया जिनके बचने की संभावना बेहद क्षीण थी। पर 18 साल पहले जिनकी मैंने सर्जरी की, जिनके ब्रेस्ट कम्प्लीट ट्युमर की जकड़ में थे वे आज एकदम स्वस्थ हैं। इमेजिंग करके देखा गया तो इलाज से ट्युमर पूरी तरह गायब हो चुका था। उनके शरीर ने सर्जरी के मेडिकेशन का सही तरह रिसपांड किया क्योंकि वे खुद आशावादी थीं।"

—डॉ. अनुभा जैन,
वरिष्ठ पत्रकार

पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की 100 सीट बढ़ाने पर रोक लगाई

एम.बी.बी.एस. की 150 से 250 सीट करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगाई

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के न्यायाधीश चन्द्रशेखर वर्मा न्यायाधीश रेखा बोपारा द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा उदयपुर अपील पर बहस सुनकर पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की 150 से 250 सीट करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

एनएमसी की ओर से उपस्थित हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने न्यायालय को बताया कि पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को पूर्व में एम.बी.बी.एस. की 150 सीट आवंटित करने के लिए परन्तु आधारभूत संरचना एवं उचित फेकल्टी न होने के कारण सीट घटाने का नोटिस दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए पहले से ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के

विषय को देखते हुए सीट कम ना करके 6 लाख रूपयों का दण्ड पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर पर लगाया गया। इसी बीच पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने एम.बी.बी.एस. की 150 सीटों से बढ़ाकर 250 सीट आवंटित करने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस पर पूर्ण विचार कर एनएमसी द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा अपील भी दायर की गई और अपील के लम्बित रहने के दौरान ही राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। इसी बीच पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर की अपील भी एनएमसी द्वारा खारिज कर दी गई।

पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष यह तर्क दिया कि उनके पास 250 सीट के हिसाब से पूरी आधारभूत संरचना एवं फेकल्टी है परन्तु एनएमसी द्वारा आवेदन पत्र को गलत रूप से निरस्त कर दिया और अपील भी बिना किसी कारण के निरस्त कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने रिट याचिका सही करते हुए एनएमसी को यह आदेश दिया कि पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की 100 सीटें और आवंटित की जावे। एनएमसी की ओर से इस आदेश दिनांक 8.10.2024 के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने अपील पर बहस करते हुए न्यायालय को बताया कि एनएमसी का निर्णय पूर्णतया सही एवं तथ्यों पर आधारित है और जब कॉलेज का निरीक्षण किया गया तब फेकल्टी एवं अन्य आधारभूत संरचनाएँ नियमों से कम पाई गईं। श्री रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि ऐसे विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनएमसी जैसी विशिष्ट संस्था का निर्णय ही अन्तिम होता है और न्यायालय को सामान्यतया उस निर्णय को तथ्यों के आधार पर नहीं बदलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार काफी कम हद तक होता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब कॉलेज के पास 150 विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

नियमानुसार फेकल्टी एवं संरचना उपलब्ध नहीं है तब उस दशा में किसी भी प्रकार से 100 और सीटें बढ़ाने का औचित्य नहीं था। रस्तोगी ने यह भी तर्क दिया मेडिकल शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतया न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई कर और दोनों पक्षों को सुनकर उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ के निर्णय के उस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके द्वारा पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को एम.बी.बी.एस. की सीट 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई थी। इस आदेश से एन.एम.सी. को बहुत बड़ी राहत मिली है।

बेटे ने मां की अंतिम इच्छा पूरी की, जेएलएन मेडिकल कॉलेज को देहदान की

अजमेर, (कासं)। वैशाली नगर में रहने वाले एक बेटे ने अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरा करते हुए उनके निधन के बाद उनकी देह का दान किया। उनकी मां प्रसन्न कंवर का सोमवार देर रात निधन हो गया था, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए मंगलवार सुबह जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को देह का दान किया गया।

वैशाली नगर निवासी बिंदु भंडारी की मां प्रसन्न कंवर भंडारी का पार्थिव देह परिनचन एवं रिश्तेदार मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया और

निश्चेतन विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य चिकित्सकों की मौजूगी में देहदान की गई। अब उनकी पार्थिव देह मेडिकल विद्यार्थी अध्ययन, शोध और चिकित्सा के उपयोग कर सकेगी।

बेटे बिंदु भंडारी ने बताया कि उनकी मां हमेशा से ही समाज सेवा सक्रिय रही। उनकी आखिरी